अध्याय 6

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का संशोधन

2003 का 39

146. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "वास्तविक राजस्व घाटे" से राजस्व घाटे और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अंतर अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खख) "पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान" से केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, सांविधानिक प्राधिकरणों या निकायों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और ऐसी पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अन्य स्कीम कार्यान्वयन अभिकरणों को, जो उक्त इकाइयों के स्वामित्वाधीन हैं, दिया गया सहायता अनुदान अभिप्रेत है ;'।

147. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में, "अनुदान मांगों" शब्दों के स्थान पर, "मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण के सिवाय अनुदान मांगों" शब्द रखे जाएंगे ; धारा 3 का संशोधन।

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट विवरणों के साथ अंतर्निहित धारणाओं के विस्तृत विश्लेषण वाला मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण होगा ।

(1ख) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण को संसद् के उस सत्र के, जिसमें खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट नीति संबंधी विवरणों को उपधारा (1) के अधीन रखा जाता है, ठीक आगामी सत्र में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।";

(ग) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) (क) मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में अंतर्निहित धारणाओं और अंतर्वलित जोखिम के विनिर्देश वाले विहित व्यय संकेतकों के लिए एक तीन वर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होगा ।

(ख) विशिष्टतया और खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा—

(i) प्रमुख नीति परिवर्तनों की, जिनमें नई सेवा, सेवा के नए साधन, नई स्कीमें और कार्यक्रम अंतर्वलित हैं, व्यय प्रतिबद्धता ;

(ii) स्पष्ट समाश्रित दायित्व, जो बहुवर्षीय समय-सीमा के लिए अनुबंधित वार्षिकी संदायों के रूप में हैं ;

(iii) पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा ।";

(घ) उपधारा (7) में "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण" शब्दों के स्थान पर, "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन।

148. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) केंद्रीय सरकार, राजवित्तीय घाटे, राजस्व घाटे तथा वास्तविक राजस्व घाटे को कम करने के लिए ऐसे समुचित उपाय करेगी, जिससे 31 मार्च, 2015 तक वास्तविक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और तत्पश्चात् पर्याप्त वास्तविक राजस्व अधिशेष का निर्माण किया जा सके और उसके पश्चात् जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, राजस्व घाटे को 31 मार्च, 2015 तक और उसके पश्चात् सकल देशी उत्पाद के दो प्रतिशत से अनधिक तक भी लाया जा सके।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "राजवित्तीय घाटे और राजस्व घाटे" शब्दों के स्थान पर, "राजवित्तीय घाटे, राजस्व घाटे और वास्तविक राजस्व घाटे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "31 मार्च, 2009" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2015" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में, "राजस्व घाटा" शब्दों के पश्चात् ", वास्तविक राजस्व घाटा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 7क का अंतःस्थापन।

149. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पुनर्विलोकन रिपोर्टों का रखा जाएगा।

"7क. केंद्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का, ऐसे आवधिक रूप से, जो अपेक्षित हो, पुनर्विलोकन करने के लिए, न्यस्त कर सकेगी और ऐसे पुनर्विलोकनों को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा ।"।

धारा 8 का संशोधन।

150. राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) धारा 3 की उपधारा (6क) के खंड (क) के अधीन अंतर्निहित धारणाओं और अंतर्वलित जोखिमों के विनिर्देशों सहित व्यय संकेतक ;

(ii) खंड (ग) में, "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण" शब्दों के स्थान पर, "राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन 31 मार्च, 2015 के पश्चात् विनिर्दिष्ट किए जाने वाला राजस्व घाटे का प्रतिशत ;"।